

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 44/2019

निर्णय दिनांक - 08.05.2019

1. विमल कुमार पुत्र समरथमलजी जाति महाजन आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. सुनिल कुमार पुत्र समरथमलजी जाति महाजन आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. कुशलचन्द पुत्र समरथमलजी जाति महाजन आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
4. अनिल कुमार पुत्र समरथमलजी जाति महाजन आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
5. मुन्नीबाई पुत्री समरथमलजी जाति महाजन आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
6. सुनिता बाई पुत्री समरथमलजी जाति महाजन आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

- प्रार्थी

// बनाम //

1. बापुलाल पिता नारुजी जाति रावत (मीणा) आयु वयस्क निवासी गादोला ।
2. रईस पुत्र सलीम मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेड़ा ।
3. घीसालाल पुत्र उंकारलाल जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी गादोला ।
4. शांतिलाल पुत्र भगवानलाल जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी फलवा ।
5. ख्वाजा हुसैन पिता नुरुद्दीन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला ।
6. इकबाल पुत्र अब्दुल हमीदजी जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला ।
7. मुहम्मद पुत्र शाबुद्दीन मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी गादोला ।
8. अफसार पुत्र सलाउद्दीन मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी गादोला ।
9. असलम पुत्र ईशाक मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी गादोला, तहसील निम्बाहेड़ा ।

- विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

### आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा गादोला की खाता संख्या 583 की आराजी नं0 514 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे.मु.चाह आराजी नं0 515 रकबा 1.8700 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.8800 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा गादोला की खाता संख्या 583 की आराजी नं0 514 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे.मु.चाह आराजी नं0 515 रकबा 1.8700 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.8800 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 08.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेड़ा

